न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

आपराधिक जेल पुनरीक्षण संख्या 01 सन् 2018

पप्पू प्रसाद

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

प्रयुत्तरदाता

श्री अकरम परवेज वाद न्याय मित्र।
राज्य की ओर से –श्री वी0 के0 जैमिनी, डी0ए0जी0

<u>निर्णय</u>

माननीय रवींद्र मैठाणी, ; न्यायाधीश (मौखिक)

इस पुनरीक्षण में निम्नलिखित चुनौती दी गयी :–

(i) आपराधिक वाद संख्या 01/2017, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ बनाम पप्पू प्रसाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटए पिथौरागढ़ के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.03.2017 को चुनौती दी गयी । इसके द्वारां पुनरीक्षणकर्ता को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम , 1972 की धारा 39 सहपठित धारा 51 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है।

(ii) सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 20/2017 , पप्पू प्रसाद बनाम राज्य व अन्य, में दिनांक 08.11.2017 को पारित निर्णय व आदेश से प्रकरण में पारित दोषसिद्वि की पुष्टि की गयी है।

(2) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

(3) विवाद को समझने के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं । अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार दिनांक 24.11.2014 को जब पी0 डब्लू –1 एस0आई0 शिशुपाल सिंह राणा, प्रभारी विशेष आधिकारिक समूह और अन्य कर्मचारीगण/अधिकारीगण गश्त पर थे ,उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता को देखा तो उनके पास चार बैग थे । उन चारों थैलों में तेंदुए की हड्डियां मिलीं। प्रारम्भिक जांच के उपरांत पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व परिवाद दर्ज किया गया ,यही मामले का आधार है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता) की धारा–244 के तहत साक्ष्य अंकित किया गया ।
तत्पश्चात् दिनॉक 17.07.2015 को पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,1972 की धारा 51 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया । जिससे उसने इन्कार कर विचारण चाहा। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पॉच साक्षीगण पी0डब्लू–1 शिशुपाल सिंह राणा, पी0डब्लू–2 बालम सिंह आलमिया, पी0डब्लू–3 तेज सिंह, पी0डब्लू–4 मनमोहन भंडारी एवं पी0डब्लू–5 अनिल कुमार को परीक्षित कराया गया ।

(4) पुनरीक्षणकर्ता के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंकित किये गये। उसके अनुसार उसे झूठा फंसाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता । यह एक गलत रिपोर्ट है। मामले में पारित आलोच्य निर्णय और आदेश द्वारा पुनरीक्षण कर्ता को दोषसिद्व किया गया और दण्डादेश पारित किया गया जैसा कि ऊपर कहा गया है। आदेश दिनांक 08.04.2017 के असफल होने के कारण उसे अपील में चुनौती दी गयी है । इसलिए पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई ।

(5) विद्वान वाद न्याय मित्र द्वारा एकमात्र तर्क दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता के कब्जे से कथित रूप से बरामद वस्तुओं को कभी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के रूप में जो रिपोर्ट है उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के मध्येनजर साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह किसी ऐसे विशेषज्ञ द्वारा नहीं दी गई है ,जैसा कि संहिता की धारा 293 (4) में वर्णित है। यह भी तर्क दिया गया है कि जिन विशेषज्ञों ने कथित रूप से बरामद हड्डियों की जांच की थी उनको कभी भी न्यायालय कें समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया ।

(6) वही दूसरी ओर विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि दिनांक 20.07.2017 की अधिसूचना, जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 293 के अन्तर्गत जारी की गई थी, वन्य जीवन संस्थान

के निदेशक, वैज्ञानिक या वन्यजीव, फोरेंसिक और संरक्षण आनुवांषिकी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी भारत सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा 4 के अन्तर्गत नामित अधिकारी हैं। तर्क दिया कि ऐसे अधिकारी ने रिपोर्ट दी है।

(7) न्यायालय ने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या दिनांक 20.07.2017 की अधिसूचना उस घटना से संबंधित हो सकती है, जो वर्ष 2014 में हुई थी और जिसमें उस तकनीकी अधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2016 को रिपोर्ट दी गई थी।

(8) विद्वान परामर्शदाता निष्पक्षता से स्वीकार करते हैं कि वास्तव में उक्त अधिसूचना बाद की थी।

(9) वर्तमान मामले में पी0डब्लू–1 शिशुपाल सिंह राणा वह व्यक्ति है, जिसने सूचना प्राप्त होने पर, पुनरीक्षणकर्ता को रोका और हड्डियों को बरामद किया। उन्होंने इसके बारे में कहा है और अपने रिकवरी मेमो प्रदर्श क–1 को साबित किया है। उन्होंने अन्य दस्तावेजों को भी साबित किया। पी0डब्लू–2 बालम सिंह आलमिया, पी0डब्लू–3 तेज सिंह, पी0डब्लू–4 मनमोहन भंडारी अन्य व्यक्ति थे, जो पी0डब्लू–1 शिशुपाल सिंह राणा के साथ थे जब पुनरीक्षणकर्ता को पकड़ा गया था और उससे बरामदगी की गई थी। पी0डब्लू–2 बालम सिंह आलमिया, पी0डब्लू–3 तेज सिंह और पी0डब्लू–4 मनमोहन भंडारी ने भी बरामदगी के बारे में बताया है। पी0डब्लू–5 अनिल कुमार वन अधिकारी हैं। उन्होंने मामले की जांच की, नक्शा नजरी को सत्यापित किया और बरामद वस्तुओं को जांच के लिए भेजा । इस साक्षी की परीक्षिण के दौरान तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पत्रावली उपलब्ध नहीं थी।

(10) वास्तव में इस मामले में पुनरीक्षणकर्ता ने अपने बचाव में एक गवाह डीडब्लू–1 सुभाष चंद्रा को भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि पुनरीक्षणकर्ता को अचानक किसी ने एक वाहन में ले जाया गया था।

(11) यह एक पुनरीक्षण है, जिसमें आक्षेपित निर्णय की शुद्धता वैधता और औचित्य की जांच तक सीमित है। वस्तुओ की बरामदगी एक अलग तथ्य है। इस मामले में कथित बरामद वस्तुओ की जांच सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है।

(12) एकमात्र तर्क फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर यह दिया जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह साबित नहीं हुआ है कि कथित रूप से बरामद हड्डियाँ तेंदुए संबंधित हैं। तथ्य यह है कि ऐसी हडिडयों को कभी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

(13) पी0डब्लू–1 शिशुपाल सिंह राणा, प्रभारी विशेष अभियान समूह, ने धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ संख्या–3 की शीर्ष पंक्ति में कहा है कि वन अधिकारियों ने हड्डियों की पहचान की थी कि वे तेंदुए से संबंधित हैं। पी0डब्लू–2 बालम सिंह आलमिया एवं पी0डब्लू–3 तेज सिंह ने यह नहीं बताया कि उन हड्डियों की पहचान किसने की। पी0डब्लू–4 मनमोहन भंडारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि एस0डी0ओ0 ने हड्डियों की पहचान की थी, लेकिन पी0डब्लू–5 अनिल कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी ने ऐसा बयान देने से इनकार किया था। उनके मुताबिक, जिस वक्त हड्डियों की कथित बरामदगी की गई, उस वक्त वह वहां मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने फर्द बरामदगी तैयार नहीं किया था ।

(14) यह कैसे कहा जा सकता है कि कथित रूप से बरामद हड्डियाँ तेंदुए से संबंधित हैं ? न्यायालय के पास उनकी जांच करने का कोई अवसर नहीं था। किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि उन्हें अपने अनुभव से या अन्यथा यह कहा जा सकता कि पुनरीक्षणकर्ता से कथित तौर पर जो हड्डियाँ बरामद की गई थीं, वे तेंदुए की थीं ।

(15) हड्डियों की कथित बरामदगी दिनांक 24.11.2014 को की गई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि न्यायालय द्वारा ह ड्डियों को दिनांक 08.12.2014 को जांच के लिए भेजा था। कोई साक्ष्य नहीं है कि कथित रूप से बरामद की गई हड्डियों को बरामदगी के समय से लेकर न्यायालय में पेश किए जाने तक कहां रखा गया था। इसकी सुरक्षित अभिरक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा भी नहीं दर्शायी गई है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पी0डब्लू–1 एस0आई0 शिशुपाल सिंह राणा प्रस्तुत करेंगे कि बरामद हड्डियों को चार अलग–अलग जार में रखा गया था ;(पृष्ठ '3 पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत)

(16) दो सीलबंद कंटेनरों को जांच के लिए भेजा गया था। अन्य दो डिब्बे कहाँ हैं, क्या जिन दो जार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, क्या वे उन चार जार में से थे जो कथित रूप से पुनरीक्षणकर्ता के पास से बरामद किए गए थे , यह भी स्थापित नहीं है । अगर कथित तौर पर बरामद हड्डियों को चार जार में रखा गया था तो केवल दो जार को ही जांच के लिए क्यों भेजा गया ।

(17) भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा किए गए विशलेषण का परिणाम साक्षियो के परीक्षा तक न्यायालय में नहीं पहुंचा। यह बाद में न्यायालय के अभिलेख में आया।

(18) पुनरीक्षणकर्ता ने अपने बयान में संहिता की धारा 313 दण्ड प्रक्रिया सांहिता में स्पष्ट रूप से कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट गलत थी, वह इसे स्वीकार नहीं करता, रिपोर्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वन्यजीव फोरेंसिक और संरक्षण आनुवंशिकी प्रकोष्ठ द्वारा दी गई है। प्रश्न यह है कि क्या इसे सबूत के तौर पर साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है ।

(19) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 एक साक्ष्य का उपयोग करने का प्रावधान करती है । इस तरह के विश्लेषण और रिपोर्ट, जैसा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा दिया गया है जो उपधारा 4 के तहत दी गई है । यह धारा इस प्रकार है–

“293. <u>कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट</u>।

-(1) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है ।इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांचए विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी ।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा ।

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं हाजिर होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे स्वयं हाजिर होने के लिए स्पष्ट रूप से निदेश दिया है, वह अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है ।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है अर्थात् :-

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक ;

[(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रकट ;

(ग) अंगुली-छाप कार्यालय निदेशक ;

(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई ;

(ङ) किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान-प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान-प्रयोगशाला का निदेशक [उप-निदेशक या सहायक निदेशक] ;

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी ;

[(छ) कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(20) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 (4) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वन्यजीव, फोरेंसिक और संरक्षण आनुवंशिकी प्रकोष्ठ भारतीय वन्य जीव संस्थान, एक विशेषज्ञ नहीं है, जैसा कि संहिता उपधारा 4 में उल्लेखित है ।

(21) बहस के दौरान वास्तव में जब प्रश्न उठाया गया था, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने सरकारी अधिसूचना प्राप्त करने के लिए समय मांगा, ताकि धारा 293 (4) (जी) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले सरकारी अधिसूचना को प्राप्त कर सके । । आज बहस के दौरान उन्होंने न्यायालय के समक्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2017 को जारी एक अधिसूचना प्रस्तुत की, जिसमें वन्य जीव फोरेंसिक और संरक्षण आनुवंशिकी प्रकोष्ठ के निदेशक, वैज्ञानिक या नोडल अधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 (4) (जी) के अन्तर्गत विशेषज्ञ नामित किया गया है। यह अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 को की गयी, उससे पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता 293 (4) (जी) के अन्तर्गत उक्त अधिकारियो को विशेषज्ञ नही कहा जा सकता है । अतः दिनॉकं 20.07.2017 से पहले वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वन्यजीव, वन्यजीव एवं आनुषांगिक सैल द्वारा दी गयी रिपोर्ट को नही माना जा सकता है ।

(22) वर्तमान मामले में ऐसे तकनीकी अधिकारी, जिन्होंने विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह परीक्षित नहीं हुआ है। इसके अभाव में इस रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता । इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कथित रूप से बरामद हड्डियाँ तेंदुए की थीं, जैसा कि कहा गया है कि उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि वे यह पहचान सकते हैं कि हड्डियाँ तेंदुए की हैं। वास्तव में पी0डब्लू–4 मनमोहन भंडारी और पी0डब्लू–5 अनिल कुमार के बयानों में विरोधाभास हैं। पी0डब्लू–1 शिशुपाल सिंह राणा ने स्वयं उन हड्डियों की पहचान नहीं की है। उनके मुताबिक वन अधिकारी ने उन्हें बताया था कि हड्डियां तेंदुए की हैं।

(23) उपरोक्त परिचर्चा के आधार न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कथित रूप से बरामद हड्डियाँ तेंदुए की हैं। अवर न्यायालय ने वरिष्ठ तकनीकी

अधिकारी द्वारा दिए गए विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट पर विचार किया है, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता था। वास्तव में यह विसंगत सामग्री थी क्योंकि विशेषज्ञ को परीक्षित नहीं कराया गया।

(24) उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर यह न्यायालय इस मत का है कि पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है और पुनरीक्षणकर्ता को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 सपठित धारा 39 के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

(25) पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है। पुनरीक्षणकर्ता को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 सहपठित धारा 51 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

(26) पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर है। उसके बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं और ज़मानतियों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता संहिता की दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 437.(ए) के तहत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बन्ध पत्र और दो ज़मानती प्रत्येक समान राशि प्रस्तुत करेगा।

(27) इस निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली को संबंधित न्यायालय में वापस भेज दिया जाए।

(रवींद्र मैठानी, जे.)

दिनांक 14.07.2022